

# पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)

इजलास.....शीलावती मीणा (आर.ए.एस.).....

मूंगी पुत्री चन्द्रा राम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

वादिया

## बनाम

1. तहसीलदारजी फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. हल्का पटवारी पटवार हल्का दांडरू

.....प्रतिवादीगण

## दावा बाबत उद्घोषणा एवं खाता दुरुस्ती

मुकद्दमा नं.....52.....सन्.....2019.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....मेरे.....

व हाजिरी...श्री राजेन्द्र शर्मा एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दई रुबरू.....श्री .....

.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 0.89है. में शंकर पुत्र मोहन के नाम अंकित खातेदारी को निरस्त कर उसके स्थान पर वादीया को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है।

निज.....-.....मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.....-.....फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....22.....माह .....जनवरी.....सन् 2020 के



दस्तखत.....  
उपखण्ड अधिकारी  
फतेहपुर (सीकर)

ओहदा.....

	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
मुद्दई					
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महन्ताना वकील	-		महन्ताना वकील	-	
खर्चा गवाहान	-		खर्चा गवाहान	-	
फीस कमिश्नर	-		फीस कमिश्नर	-	
बबत इजराय हुक्मनामा	-		बबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुतफरिक	-		मुतफरिक	-	
मीजान	5				

